भारत सरकार द्वारा संचालित

नये कानून

१९९५

लेखक

शरद चन्द्र मिश्र (एडवोकेट)

(हाईकोर्ट)

मिश्रा ला प्रकाशन (रजि. फर्म.)

रजि.नं.४०/३३/ ७८ NT

मूल्य

काश्तकारों हेतु दस हजार कर्ज माफी की योजना

सरकार ने एक आदेश जारित कर यह घोषणा की है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ-साथ अब किसानों द्वारा सहकारी बैंकों से लिए गए दस हजार तक के कर्जे माफ होंगे। इसके लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार क्रमशः 50-50 प्रतिशत का अनुदान देने पर सहमत हो गये हैं।

ऐसे सभी काश्तकार जिनके पास दस हजार रुपये तक के सहकारी ऋण बकाया हैं माफ करने की घोषणा कर दी है। ऐसे कर्ज माफी वाली श्रेणी में दस्तकार तथा बुनकर भी शामिल हैं। प्रदेश के मुख्यमन्त्री के आदेशानुसार 2 अक्तूबर 1990 तक समस्त ऋण के खाते बन्द कर दिये जायेंगे।

कर्ज राहत की राशि का 50% भाग केन्द्र सरकार वहन करेगी और शेष राज्य सरकार पूर्ति करेगी।

प्रदेश के किसानों को दस हजार तक के कर्ज माफ करने के प्रदेश सरकार के निर्णय से सरकार पर 350 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सरकार ने कृषकों (काश्तकारों) हेतु 1500 करोड़ रुपये के जो कार्यक्रम बनाये हैं उनमें से अधिकांश पूरे भारत में कहीं लागू नहीं हैं।

ज्ञात है कि सरकार बहुत पहले यह वचन पक्का प्रदर्शित कर चुकी है कि अगले कुछ वर्षों में किसानों की सभी मांगों को पूरा किया जायेगा। सरकार ग्रामीण बेरोजगारों हेतु कुछ और नई योजनायें लागू करने वाली है।

चालू वित्तीय वर्ष में किसानों के विकास के लिये किये गये फैसलों की जानकारी देते हुए बताया गया कि पहली जुलाई 90 के बाद कृषि कार्य में दैवी आपदाओं से प्रभावित किसानों को 90 करोड़ रुपये की मदद दी जायेगी। ऐसे किसानों को जिनकी फसल ओला वृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक नष्ट हो गई हो उन्हें 800 रुपये प्रति एकड़ की दर से राहत दी जाएगी।

ऋण राहत घोषणा के अन्तर्गत किसानों, बुनकरों, दस्तकारों, शिल्पकारों तथा भूमिहीनों, कृषि मजदूरों द्वारा 2 अक्टूबर 89 तक या उसके पहले लिए गए सरकारी बकायों से राहत दिलाने हेतु 350 करोड़ रुपये का बन्दोबस्त किया गया है जिससे 36 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

पंचायत राज अधिनियम का नया कानून

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन)

अधिनियम १९९२ संख्या १९९४ को राज्य सरकार द्वारा लागू

(भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक)

भारत गणराज्य के तैंतालिसवें वर्ष में संसद, द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम 199 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

नए भाग IX का अन्तःस्थापन

2. संविधान के भाग 8 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

भाग IX

पंचायतें

243. परिभाषाएं—इस भाग में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'जिला' से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है;

(ख) "ग्राम सभा" से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से सम्बन्धित मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है;

(ग) "मध्यवर्ती स्तर" से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जो किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर का विनिर्दिष्ट किया जाये।

(घ) "पंचायत" से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है;

(ङ) "पंचायत क्षेत्र" पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(च) "जनसंख्या" से ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं;

राज्य विधि संशोधन अधिनियम संख्या 9 सन् 1994 जो राज्य असाधारण गजट भाग 1 खण्ड (क) में दिनांक 22-4-1994 को प्रकाशित।

(छ) "ग्राम" से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है।

ग्राम सभा

243 क. ग्राम सभा स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी जो राज्य के विधान मण्डल द्वारा, विधि द्वारा उपबन्धित किया जाय।

पंचायतों का गठन

243 ख. (1) प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस के उपबन्धों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जायेगा।

(2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत को उस राज्य में गठन नहीं किया जायेगा जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अधिक है।

पंचायतों की संरचना

243 ग. (1) इस भाग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना की बाबत उपबन्ध कर सकेगा।

परन्तु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में, यथासाध्य, एक ही होगा।

(2) ग्राम स्तर पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के सभी स्थान पर पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जायेंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आबंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में, यथासाध्य, एक ही होगा।

(3) जिलास्तर पर पंचायतों के स्थान ऐसी रीति से निर्वाचन द्वारा भरे जायेंगे जो राज्य-विधान-मण्डल विधि द्वारा–

(4) राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा–

(क) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या ऐसे राज्य की दशा में जहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, जिला स्तर पर पंचायतों में,

(ख) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों

(ग) लोकसभा के सदस्यों और राज्य की विधान सभा के सदस्यों के जो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर

कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में।

(ख) राज्य सभा के सदस्यों और राज्य की विधान-परिषद के सदस्यों को, वहां के–

(i) मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में।

(ii) जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है जिला स्तर पर पंचायत में।

प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबन्ध कर सकेगा

5. किसी पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा, जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र से चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या अन्यथा चुने गए हैं।

6. (क) ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से, जो राज्य के विधान-मण्डल द्वारा, विधि द्वारा उपबन्धित की जाय, किया जाएगा। और

(ख) मध्यवर्ती या जिला स्तर पर किसी पंचायत का अध्यक्ष, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जायेगा।

स्थानों का आरक्षण

243 घ. 1. प्रत्येक पंचायत में--(क) अनुसूचित जातियों और (ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे गए स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों का अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों में चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे।

2. खण्ड (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई अन्यून स्थान यथास्थिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

3. प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्र का चक्रानुसार से आवंटित किए जा सकेंगे।

4. ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों का पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेगा, जैसी राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा उपबन्धित करे।

परन्तु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात, प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।

परन्तु यह और कि प्रत्येक स्तर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

परन्तु यह भी कि इस खण्ड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न-भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जायेगी।

5. खण्ड (1) और (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खण्ड (3) के अधीन अध्यक्षों के पद के लिए आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

6. इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मण्डल को किसी स्तर पर किसी पंचायत में पिछड़े वर्गों के नागरिकों के पक्ष में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

पंचायतों का कार्यकाल आदि

243 ङ (1) प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी।

2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का कोई संशोधन किसी स्तर पर ऐसी पंचायत का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं करेगा, जब तक खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल का अवसान नहीं हो जाता।

3. किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन—

(क) खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व;

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के अवसान के पूर्व पूरा किया जायेगा।

परन्तु जहां यह शेष अवधि के लिए कोई विघटित पंचायत बनी अवधि छह मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

4. पंचायत के कार्यकाल के अवसान के पूर्व किसी पंचायत के विघटन पर गठित की गई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी, जिस अवधि तक विघटित पंचायत खण्ड (6) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

सदस्यता के लिए निर्हताएं

243 च. (1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए सदस्य बनने के लिए निरहित होगा–

(क) यदि वह सम्बन्धित राज्य के विधान-मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरहित कर दिया जाता है।

परन्तु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरहित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।

(ख) यदि वह राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार विहित कर दिया जाता है।

2. यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खण्ड (1) में वर्णित किन्हीं निरहिताओं से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से, जैसा राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा उपबन्धित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जायेगा।

पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

243 छ. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, निम्नलिखित के सम्बन्ध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे–

(क) आर्थिक विकास और सामाजिकन्याय के लिए योजनायें तैयार करना।

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जायें, जिसके अन्तर्गत वे स्कीमें भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में हैं, क्रियान्वित करना।

पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की निधियाँ

243 ज. राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा–

(क) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, ऐसे

कर, शुल्क, पथकर और फीस उद्गृहीत संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को अधिकृत कर सकेगा।

(ख) ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों तथा सीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत ऐसे संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को समनुदेशित कर सकेगा।

(ग) पंचायतों के लिए राज्य की संचित निधि में से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबन्ध कर सकेगा। और

(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों में से धन का प्रत्याहरण करने के लिए भी उपबन्ध कर सकेगा, जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं या दी जाएं।

वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन

243 झ. (1) राज्य का राज्यपाल, संविधान (तेहत्तरवां संशोधन) अधिनियम 1992 के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर यथाशक्य और शीघ्र और उसके पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष के अवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए। और

(क) उन सिद्धान्तों की बावत, जो निम्नलिखित को शासित करेंगे अर्थात्–

(i) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे कर, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण जो इस भाग के अधीन उनके बीच वितरित किए जा सकेंगे तथा पंचायतों के बीच सभी स्तरों पर ऐसे आगमों के अपने-अपने अंश का आवंटन।

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो पंचायतों को समनुदेशित किए जा सकेंगे।

(iii) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को सहायता अनुदान।

(ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपाय।

(ग) कोई अन्य विषय, जो राज्यपाल द्वारा पंचायतों के ठोस वित्त पोषण के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए।

राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा

(2) राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा आयोग की संरचना, अर्हता, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होगी और रीति, जिससे उनका चयन किया जायेगा, का उपबन्ध कर सकेगा।

3. आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा, उसे प्रदान करे।

4. राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और उसके बारे में की गई कार्यवाई का स्पष्टीकरण कारक राज्य के विधान-मण्डल में।

पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा

243 ञ. राज्य का विधान-मण्डल, पंचायतों द्वारा लेखे बनाए रखने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने की बाबत, विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगा।

पंचायतों के लिए निर्वाचन

243 ट. (1) पंचायतों के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा

(2) राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावली ऐसी होगी जो राज्यपाल नियमों द्वारा अवधारित करें।

परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जायेगा उस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(3) जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगा जितने खण्ड (1) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कृत्य के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(4) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से सम्बन्धित या सम्पृक्त सभी विषयों के बाबत का उपबन्ध बना सकेगा।

संघराज्य क्षेत्रों को लागू होना

243 ठ. इस भाग के उपबन्ध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्य क्षेत्र को उनके लागु होने में उनका यह प्रभाव होगा मानों राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देशन अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किए गये संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हैं और राज्य के विधानमण्डल या विधानसभा के प्रति निर्देश, उस संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिनमें विधानसभा है, उस विधानसभा के प्रति निर्देश हैं।

परन्तु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि इस भाग के उपबन्ध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें।

भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना

243 ड (1) इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और (2) खण्ड में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी।

2. इस भाग की बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी–

(क) नागालैण्ड, मेघालय और मिजोरम के राज्य;

(ख) मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषद विद्यमान है।

(3) इस भाग की–

(क) कोई बात, जिला स्तर पर पंचायतों के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगी जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है;

(ख) किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है।

(4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी–

(क) खण्ड (2) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा इस भाग का विस्तार, खण्ड (i) में निर्दिष्ट क्षेत्रों, यदि कोई है, के सिवाय, उस राज्य पर कर सकेगा। यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का एक संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर देती है;

(ख) संसद, विधि द्वारा, इस भाग के उपबन्धों का विस्तार खण्ड (1) के निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जायें और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान के संशोधन नहीं समझी जायेगी।

विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना

243 ढ इस भाग में किसी बात के होते हुए भी संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम 1992 के प्रारम्भ से ठीक पूर्व राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से

सम्बन्धित किसी विधि का कोई उपबन्ध, जो इस भाग के उपबन्धों से असंगत है, तब तक जब तक कि सक्षम विधान-मण्डल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या नहीं निरसित कर दिया जाता था, जब तक ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष का अवसान नहीं हो जाता, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त बना रहेगा।

परन्तु ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेंगी, यदि उन्हें अब राज्य की विधानसभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधान परिषद है उस राज्य के विधान मण्डल के प्रत्येक सदन द्वारा, पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता।

निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन

243 ण इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) अनुच्छेद 243 ढ के अधीन बनाई गई या बनाए जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से सम्बन्धित है, विधि मान्यता किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

(ख) किसी पंचायत के लिए कोई भी निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबन्ध है अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 280 का संशोधन

2. क. संविधान के अनुच्छेद 280 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्त स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:

(ग) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायत के साधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपाय।

ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना।

3. संविधान की दसवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जायेगी, अर्थात्।

"ग्यारहवीं अनुसूची"

(अनुच्छेद 243 छ)

1. कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि-विस्तार भी है।
2. भूमि विकास, भूमि विकास का कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जल-आच्छादन विकास।
4. पशुपालन, दुग्ध-उद्योग और कुक्कुट-पालन।

5. मात्स्यिकी।
6. सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग।
7. लघु वन उत्पाद।
8. लघु उद्योग, जिनके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है।
9. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण व्यवसाय।
11. पेय जल।
12. ईंधन और चारा।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण भी है।
15. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय भी हैं।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप।
22. बाजार और मेले।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अन्तर्गत अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं।
24. परिवार कल्याण।
25. स्त्री और बाल विकास।
26. समाज कल्याण, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण भी है।
27. दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

भूमि विधि संशोधन अधिनियम (२८) सन् १९८६

उपरोक्त नियम के लागू होने के बाद अब कोई भी अनुसूचित जाति या जनजाति का खेतिहर मजदूर है, अगर उसके कब्जे में 30 जून 1985 तक ग्राम सभा की कोई भूमि कब्जे में रही है और सब मिलाकर सवा तीन एकड़ से अधिक जमीन नहीं होती है तो उस भूमि के वे सभी काश्तकार जो अनुसूचित या जनजाति के होंगे, असंक्रमणीय समझे जायेंगे।

जोतों पर अधिकतम सीमा का आरोपण, निर्मुक्तियाँ तथा अतिरिक्त भूमि का अर्जन

जब कोई ऐसा खातेदार हो जिसके परिवार के कुल सदस्यों की संख्या पति-पत्नी और बच्चों को मिलाकर 5 से अधिक न हो, यदि बच्चे नाबालिग हों, ऐसे परिवार में कुल सिंचित भूमि 7.30 हेक्टेयर रहेगी लेकिन इन्हीं पांच सदस्य वाले परिवारों में यदि कोई बच्चा बालिग है तो प्रत्येक बालिग बच्चों के लिए 2 हेक्टेयर से अधिक किसी भी दशा में न होगी।

जब कोई ऐसा खातेदार हो जिसके परिवार के कुल सदस्यों की संख्या पति-पत्नी और बच्चों को मिलाकर पांच से अधिक हो तो ऐसे परिवार में सिंचित भूमि 6.30 हेक्टेयर और पांच सदस्यों के बाद प्रत्येक नाबालिग के लिए 2 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि रखने का अधिकार होगा परन्तु वह अतिरिक्त भूमि 6 हेक्टेयर से अधिक भूमि न होगी अर्थात तीन बच्चों तक ही अतिरिक्त भूमि दी जायेगी।

ऐसा खातेदार जिसके परिवार के सदस्यों की संख्या पांच से अधिक न हो, उसमें पति-पत्नी और उनके बच्चों में वह बालक पुत्र जिनके नाम 14 मई 1971 के बाद परिवार के माता-पिता ने अपनी भूमि जो उनके नाम लिख दी हो या उनके हक में कर दी हो ऐसी सब भूमि एक खातेदार की मानी जायेगी और नाबालिग पुत्रों, और पुत्रियों के नाम की समस्त भूमि चाहे वह 24 जनवरी 1971 के पहले से क्यों न हो, समस्त भूमि एक खातेदार मानी जायेगी।

बालिग पुत्रों के नाम माता-पिता ने 24 जनवरी 1971 के बाद यदि अपनी भूमि का कोई भाग कर दिया हो और बालिग पुत्रों के पास ऐसी भूमि 1 हेक्टेयर से कम है तो इन बालिगों को परिवार की भूमि से इतनी भूमि और दी जायेगी कि कुल मिलाकर बालिग के पास 2 हेक्टेयर हो जाय।

बालिग पुत्रों के नाम माता-पिता ने 24 जनवरी 1991 से पहले यदि कोई भूमि कर दी हो तो प्रत्येक बालिग पुत्र अलग खातेदार माना जायेगा।

(क) ऐसे खातेदार की दशा में जो कृषि में शिक्षा देने वाला डिग्री कालेज हो सिंचित भूमि के 20 हेक्टेयर।

(ख) ऐसे खातेदार की दशा में जो कृषि में शिक्षा देने वाला इन्टरमीडियेट कालेज हो सिंचित भूमि में 12 हेक्टेयर।

(ग) किसी अन्य खातेदार की दशा में सिंचित भूमि का 7.30 हेक्टेयर।

गांव सभा की जमीन पर किसका कब्जा कब से जायज़ माना जायेगा ?

नये भूमि सुधार कानून के अन्तर्गत जब कोई भी व्यक्ति गांव सभा की

जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा और वह कब्जे के आधार पर आसामी जोतदार या भूमिधर घोषित नहीं कर सकेगा, किन्तु ऐसे खेतिहर मजदूर जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और उन्होंने ऐसी जमीन पर जो किसी चारा-गाह तालाब, सिघाड़ा उगाने, नदी का किनारा या जिसे राज्य सरकार द्वारा गजट में किसी अन्य कार्य के लिए निर्धारित की गई हो या बागान या सार्वजनिक स्थान के लिए मिलेट्री या रेलवे नहर, किसी फार्म या टाउन एरिया द्वारा अधिग्रहण की गई हो या चकबन्दी द्वारा सुरक्षित घोषित की गई हो, के अलावा गाँवसभा की भूमि पर कब्जा कर लेता है और उसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि है एवं 30 जून 1985 की तिथि तक उसका कब्जा है तो उन व्यक्तियों के खिलाफ कोई बेदखल की कार्रवाही नहीं की जावेगी।

काश्तकार व जमीन बटाई अधिकार कानून

इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—

धारा 157–1. अगर कोई भूमिधर आसामी या सरकारी पट्टेदार अपनी जोत को शिकमी बन्दोबस्त करेगा व बांग बन्धक देगा तो वह जोत उसकी न रह जायेगी।

2. वे भूमिधर आसामी जो विधवा हैं या अशक्त हैं तथा खेती नहीं कर सकते या पागल हैं या बेवकूफ या विवाहित हैं लेकिन पति ने छोड़ दिया है या पति खेती करने योग्य नहीं है या नाबालिग है सरकारी स्कूल में पढ़ता है व उसकी उम्र 21 वर्ष से कम है। अपनी जोत शिकमी (बटाई उठा सकता है)।

3. अगर कोई व्यक्ति बिना जोतदार की इच्छा के किसी जोत पर लगातार 3 साल तक कब्जा हो जाये तो जोतदार अपना हक खो सकता है।

4. आसामी भूमिधर को अपनी जोत बेचने व गहने रखने, बखशीश या वसीयत करने का हक नहीं है अगर ऐसा करे तो जोत गाँव सभा की हो जायेगी।

5. कोई भूमिधर व आसामी अपनी जोत को शिक्षा संस्थान, पशुपालन में या बाग लगाने में शिकमियाना बन्दोबस्त करना चाहे तो कर सकता है और इन लोगों को यह भी अधिकार है कि साझेदारी में खेती करा सकते हैं।

6. अगर कोई भूमिधर या आसामी अपनी जोत लगातार 6 साल तक परती छोड़ता है अर्थात् उसका इस्तेमाल खेती, बाग लगाने या पशुपालन में बराबर 6 साल तक नहीं करता तो अपना जोत से हक खो बैठेगा और वह जोत गाँव-सभा की हो जायेगी।

8. भूमिधर अपनी जोत की बिक्री वसीयत करा सकता है।

भूमि व्यवस्था कानून

जमींदारी विनाश और भूमि विधि संहिता का अर्थ

1. जमींदारी विनाश और भूमि संहिता में यह समझना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति जमींदार समझा गया और कौन सी भूमि का कौन सा व्यक्ति काश्तकार समझा गया ।

जमींदारी विनाश का अर्थ है कि भूमि का ऐसा स्वामी जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती नहीं करता था । बल्कि परिश्रम करने वाले व्यक्ति के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करता था । यह अधिकार अब समाप्त कर दिया गया है, इसका नाम जमींदारी विनाश है ।

भूमि विधि संहिता में काश्तकार कौन ?

2. ऐसे वह सभी व्यक्ति जो अपनी भूमि पर स्वयं परिश्रम कर खेती नहीं करते और अपनी भूमि पर दूसरे व्यक्तियों को जोतने-बोने के लिए दे देते हैं । भूमि चाहे लगान पर उठाई जाय या बटाई पर अधियार शिकमी पर उठाई जाय । भूमि को उठाने वाले सभी व्यक्ति जमींदार हैं । भूमि को बटाई या अधियार पर उठाना ही भूमि को पट्टे पर उठाना है, क्योंकि भूमि का मालिक स्वयं परिश्रम नहीं करता और जोतने-बोने वाले कृषक से रुपये के स्थान पर अन्न ले लेता है । इस प्रकार जो व्यक्ति जिस भूमि पर परिश्रम कर खेती करने के नाते काबिज रहेगा. वह व्यक्ति उक्त भूमि के सम्बन्ध में काश्तकार माना जायेगा ।

निम्नलिखित व्यक्तियों को पट्टे पर उठाने की छूट, अविवाहित, विधवा, परित्यक्त एवं असमर्थ व्यक्ति, फौज के नौकर, जेल के कैदी, 25 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी अपनी भूमि को पट्टे पर उठा सकते हैं । इनकी भूमि पर खेती करने वाले व्यक्ति आसामी होंगे और उनकी बेदखली भी होगी ।

भूमि को परती पर रखने का निषेध–

यदि कोई भूमिधर अपनी भूमि को तीन वर्ष से अधिक खाली रखेगा या कृषि प्रयोजनों के काम में न लाये तो उनको भूमि 9 वर्ष के लिए भूमि प्रबन्धक समिति तहसीलदार से अनुमति लेकर दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर उठा सकती है।

खातेदारों के वर्ग–

निम्नलिखित वर्ग के खातेदार होंगे–(1) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, (2) असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, (3) असामी भूमिधर। इसके निम्नलिखित अधिकार होंगे ।

संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर ?

अपनी जोत में अपने स्वत्व को राज्य सरकार से तकावी के रूप में या सरकारी

समिति से या बैंक आफ इण्डिया से या अन्य किसी बैंक से लिए गए ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में कब्जा दिए बिना बन्धक रख सकता है और अपनी जोत में उस भाग को छोड़कर जो इस प्रकार बन्धक रखा गया हो। अपने स्वत्व को कृषि उपादकरण और पशु पालन शिक्षा से सम्बन्ध किसी भी प्रयोजन के लिए दान द्वारा किसी स्वीकृत शिक्षा संस्था को संक्रमित हस्तान्तरण भी कर सकता है।

असामी का स्वत्व संक्रमणीय नहीं होगा। (धारा 129)

संक्रामक भूमि का विक्रय–

प्रत्येक भूमिधर अपनी भूमि को बेच सकता है। परन्तु ऐसा अनुसूचित आदिम जाति का व्यक्ति जिसके पास सवा तीन एकड़ से अधिक भूमि न हो तो ऐसी भूमि का कोई विक्रय या बन्धक मान्य न होगा। जब तक की कलेक्टर से कोई पूर्व लिखित अनुमति न प्राप्त कर ली जाय।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन कृषक मजदूर जिन्हें ग्रामसभा की भूमि आवंटन में उच्च प्राथमिकता दी जाती है। गांव सभा की भूमि में रिकवरी अधिकार प्राप्त न होंगे और अब ऐसी भूमि का विक्रय मान्य न होगा।

वसीयत–प्रत्येक संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपने खाते या उसके किसी भाग को लिखा (वसीयत) कर सकता है। परन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति वसीयत नहीं करेगा।

टीका–अभी तक स्त्रियों को अपने मृतक पति से प्राप्त होने वाली भूमि का वसीयतनामा करने का अधिकार नहीं था। लेकिन 19 अगस्त 1975 से प्रत्येक स्त्री को अपने मृतक पति से प्राप्त जमीन में वसीयत करने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

बेदखली और भूमि सम्बन्धी मुकदमें–

1. जब किसी खातेदार की भूमि पर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के कब्जा ले तो–

(क) खातेदार द्वारा लिखित नोटिस दिये जाने और निश्चित दिनांक के नियत किए जाने से 15 दिन के भीतर नहीं हट जाता तो उसे व्यक्ति को 3 माह की कैद या 500/-रु. तक अर्थदण्ड या दोनों प्रकार से दण्डित किया जाएगा। (धारा 441, 447 ताजीरात हिन्द)

(ख) खातेदार असिस्टेन्ट कलेक्टर के यहाँ कब्जा वापस पाने का दावा कब्जा करने के दिनांक से 12 वर्ष तक कर सकता है।

(ग) कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिमजाति का भूमिहीन खेति-

हर मजदूर जिसके पास कुल भूमि सवा तीन एकड़ से अधिक न हो 30 जून 1975 से गाँवसभा की भूमि उसके कब्जे है तो ऐसे व्यक्ति को उक्त भूमि से बेदखल न किया जाएगा। धारा 122

(घ) जिन व्यक्तियों को सरकार द्वारा भूमि के नए पट्टे दिए गए हों तो उन व्यक्तियों की भूमि पर कोई अन्य अनाधिकृत व्यक्ति कब्जा कर ले तो तीन वर्ष के भीतर परगना अधिकारी को आवेदन पत्र देने पर कब्जेदार बेदखल कर दिया जाएगा और पट्टेदार को कब्जा वापस दिला दिया जाएगा। बेदखल किए जाने के पश्चात् विधि पूर्व अधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः कब्जा किया जाय तो कब्जेदार को 3–3 वर्ष तक कैद की सजा अथवा अर्थ दंड 5000/–रु. तक जुर्माना अथवा दोनों प्रकार से दण्डित किया जाएगा। पट्टेदार द्वारा पुलिस में रिपोर्ट किए जाने पर पुलिस अनाधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकती है।

2. चकबन्दी में छोड़ी गई भूमि पर कोई व्यक्ति खेती करने के लिए कब्जेदार हो जाय तो गाँव सभा द्वारा दावा किए जाने पर बेदखल हो जाने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

3. जहाँ कोई व्यक्ति भूमि पर कब्जेदार है और खेती कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को उसकी भूमि से बिना बेदखली कराए भूमि प्रबन्धक समिति उक्त भूमि का पट्टा किसी अन्य व्यक्ति को कर दे तो कब्जेदार अपने हक का सफरी दावा धारा 229 के (ख) के अधीन कर सकता है।

4. गाँव सभा की भूमि का अनाधिकृत अध्यासियों की बेदखली में जुर्माना 100/-रु. तक होगा। धारा 209

5. जब किसी खातेदार के खेतों की मेड़ों को कोई व्यक्ति नष्ट करता है तो उसे एक वर्ष तक की सजा हो सकती है।

6. चकरोड तोड़ने या उसे नष्ट करने पर पुलिस बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकती है।

7. दोषपूर्ण खेतों की फसल नष्ट करना या पौधों को काटना 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

8. 10/-रु. या इससे अधिक कृषि उपज को किसी विस्फोटक पदार्थ या अग्नि द्वारा नष्ट करने पर 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

9. दोषपूर्ण सिंचाई के निर्माणों को क्षति पहुँचाना 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

10. हानि पहुँचाने के उद्देश्य से गलत अभिलेखों के लिए 2 वर्ष तक की कैद और अर्थदण्ड अथवा दोनों ही दी जा सकती है। गांवसभा भूमि प्रबन्धक समिति मैनुअल परिच्छेद 74।

11. जब कोई व्यक्ति गांवसभा की भूमि से बेदखल किया जा रहा हो तो अध्यासी अथवा पट्टेदार बेदखल होने की नोटिस पाने के दिनांक से और यदि कब्जेदार बेदखल होने की नोटिस पाने के दिनांक से और यदि कब्जेदार बेदखल हो गया तो दोनों दशाओं में कब्जा छोड़े बिना बेदखली होने के दिनांक से 6 माह के भीतर अपने अधिकार सिद्ध करने के लिए धम्मरी दावा कर सकता है।

धारा 229 ब

भूमि का क्षेत्रफल और बँटवारा ?

सम्मिलित खातेदारों की भूमि का बँटवारा करने में भूमि का क्षेत्रफल सवा तीन एकड़ से कम न हो। इससे कम भूमि होने पर नीलाम कर दी जायेगी।

भूमि को पट्टे पर उठाया जाना ?

प्रत्येक गांव सभा अपने क्षेत्र की भूमि प्रबन्धक समिति होगी। भूमि प्रबन्धक समिति जब तक किसी भूमि को पट्टे पर उठाना चाहे तो इसकी पूर्व स्वीकृति परगना अधिकारी से लेगी और भूमि को उठाने के पहले गांव सभा के उस मण्डल में जिसमें वह भूमि स्थित हो। भूमि उठाये जाने के निश्चित दिनांक से कम से कम 7 दिन पहले गाटों की संख्या और उनके क्षेत्रफल की घोषणा डुग्गी पिटवाकर करेगी। निश्चित दिनांक की बैठक में भूमिधर असामियों को आधार पत्र 57 में अलग-अलग सूची तैयार करेगी और जाँच करने के पश्चात् समिति गाटों की लगान और मालगुजारी को भी निश्चित कर देगी। तत्पश्चात् भूमि निम्नलिखित क्रमागत के आधार पर उठायी जायेगी–

(क) ऐसे व्यक्ति को जिसने संघ सेना में सक्रिय सेवा करते हुए शत्रु के आक्रमण के कारण अपना जीवन बलिदान किया हो तो मण्डल में रहने या भूमिहीन विधवा, उसके भूमिहीन पुत्र, उसकी भूमिहीन अविवाहित पुत्रियाँ उसके भूमिहीन माता-पिता को।

(ख) मण्डल में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु के आक्रमण के कारण पूर्णतयः निर्योग्य हो गया हो।

(ग) मण्डल में रहने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई भूमिहीन खेतिहर मजदूर को।

(ङ) कोई अन्य प्रकार का भूतपूर्व या आवासी जो मण्डल में रहता हो और उसके पास 9.26 हेक्टेयर (3.125) एकड़ से कम भूमि हो तो इतनी भूमि दी जायेगी कि पहले से यदि उसके पास भूमि है तो उसे मिलाकर सवा तीन एकड़ से अधिक भूमि न हो जाय उसको।

(च) मण्डल में रहने वाला कोई भूमिहीन व्यक्ति जो सेना की सशस्त्र सेना में किसी अधिकारी से भिन्न किसी सेवा वियुक्त हो उसको।

(छ) मण्डल में रहने वाला कोई भूमिहीन स्वतन्त्रता सेनानी जिसे राजनैतिक पेन्शन न दी गई हो उसको।

(ज) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो मण्डल में न रहता हो। किन्तु पंचायत राज्य एक्ट 1947 की धारा 42 में अभीदिष्ट न्याय पंचायत के सकिल में रहता हो उसको।

भूमि सवा तीन एकड़ से अधिक किसी भी व्यक्ति को आवंटित न की जायेगी और यदि आवंटन के विषय में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह कलेक्टर से अपनी अपील कर सकता है। कलेक्टर 5 वर्ष तक अवधि के पट्टे को रद्द कर सकता है।

मालगुजारी ऐसे व्यक्तियों से जिनके पास कुल सवा तीन एकड़ से अधिक न हो, माफी रहेगी। इसी प्रकार वसूल होने वाला भूमि विकास कर भी माफ किया गया। लेकिन यदि किसी व्यक्ति पर पिछला कोई बकाया है तो उसे वसूल किया जा सकता है।

कानूनी कार्वाही ?

मकान बनाने के लिए स्थलों का दिया जाना। भूमि प्रबन्धक समिति गाँव सभा में निहित क्षेत्र की भूमि चकबन्दी में छोड़ी गई भूमि ग्राम पंचायत के अधीवस्त भूमि व सरकार द्वारा अर्जित भूमि को निम्नलिखित क्रमों के आधार पर देगी।

1—खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार जो गाँव में रहता हो और अनुसूचित जाति या आदिम जाति का नहीं।

2—कोई अन्य खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार जो गाँव में रहता हो।

3—कोई अन्य व्यक्ति जो गाँव में रहता हो। अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो।

स्पष्टीकरण—ग्रामीण शिल्पकार का अर्थ बढ़ई, धोबी, लुहार, कुम्हार, नाई, स्वर्णकार, मोची, जुलाहा और रजतकार है।

उपरोक्त खण्ड (1), (2), (6) अभीनिष्ट व्यक्तियों में से जिन्होंने 15 मार्च

1974 के पूर्व किसी खातेदार की भूमि पर कब्जा बना लिया हो वह बेदखल नहीं किया जायेगा।

लेकिन 10 वर्ष बाद के भीतर मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को छोड़कर व्यक्ति को उस बनी हुई इमारत को लेने का हक न होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों वृक्ष काटने का कानून–

वृक्ष संरक्षण—(45, 1976) कोई व्यक्ति किसी वृक्ष को चाहे वह किसी खाते में सम्मिलित हो या न हो। सक्षम अधिकारी को लिखित आवेदन पत्र दिये बिना नहीं हटायेगा।

वृक्ष काटने या हटाने की अनुज्ञा की प्रतिक्रिया–सक्षम अधिकारी गिरे हुए सूखे वृक्ष के सम्बन्ध में आवेदन पत्र के प्राप्ति के दिनांक से सात दिन के भीतर व अन्य खड़े हरे वृक्षों की दशा में आवेदन पत्र प्राप्ति के दिनांक से 90 दिन के भीतर अपना निश्चय देगा। प्राधिकारी गिरे व सूखे वृक्ष की स्थिति में 7 दिन के भीतर व खड़े हरे वृक्षों की दशा में 90 दिन के भीतर अपना निश्चय देने में असफल रहता है तो वह समझा जायेगा कि सक्षम अधिकारी ने निर्दिष्ट आज्ञा दे दी है।

बिना वारन्ट के गिरफ्तार–प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 का उल्लंघन करता है। वन अधिकारी जिसका वनराजिक के पद से कम न हो वह पुलिस अधिकारी जिसका पद सबइन्सपेक्टर के पद से कम न हो ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण हो, वह इस कानून के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित है, बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकता है।

अपराध का शमन–जिस व्यक्ति के विरुद्ध यह विश्वास है कि अपराध किया है--अपराध प्रमाण रूप में 6 माह की कैद व पांच हजार रु. की धनराशि जुर्माने के रूप में स्वीकार की जायेगी।

जवाहर रोजगार योजना

केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं जो परिवार गरीबी की रेखा से नीचे आते हैं, जिसकी आमदनी 3500 रुपये वार्षिक से ज्यादा न हो, ऐसे सभी ग्रामीण परिवारों को सुदृढ़ करने के लिये यह नई योजना चालू की है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम प्रधान को अधिकार दिया गया है यदि आपके ग्राम की आबादी 3000 से 4000 तक है। अपने जिलाधिकारी को अपनी योजना जिसमें कुटीर उद्योग लघु उद्योग एवं ग्रामीण विकास उद्योग शामिल हैं। क्रिया करने के लिये अनुदान राशि प्राप्ति हेतु सादे कागज पर प्रार्थना पत्र दें। इस योजना के तहत 80 हजार से एक लाख तक धनराशि प्रदान की जाती है। चार

अपने गांव में क्रियान्वित करते हुए परिवार के एक सदस्य को रोजगार दे सकते एवं महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान करे। साथ ही गांव के प्रत्येक व्यक्ति को भी यह अधिकार दिया गया है कि इस सम्बन्ध में ग्राम-प्रधान या अन्य कोई व्यक्ति धोखाधड़ी या गड़बड़ी करते हैं या समुचित रोजगार नहीं प्राप्त होता (नियम 188) के अधीन जिला पंचायत अधिकारी या जिला अधि-कारी या केन्द्रीय ग्रामीण विकास वित्त आयोग (कृषि भवन) नई दिल्ली को सादे कागज पर लिखित सूचना दें ताकि उचित कार्यवाही की जा सके। द. प्र. स. के अन्तर्गत सजा व जुर्माना भी दिया जा सकेगा।

जवाहर रोजगार योजना के तहत इन कार्यों को ग्रामीण विकास में किया जायेगा–(1) सामाजिक वानिकी (2) बाढ़ नियन्त्रण जल निकासी कार्य (3) भूमि संरक्षण (4) ग्रामीण तालाब या कुओं का निर्माण (5) आवास का निर्माण व गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को आवंटन ( ) अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की आर्थिक स्थित सुधारने के कार्य ( ) भूमि विकास कार्य- (8) सम्पर्क मार्ग निर्माण (9) प्राइमरी स्कूल भवन निर्माण आदि। योजना का 50% धनराशि मजदूरी श्रमिक हेतु खर्च किया जायेगा। कुल संसो-धनों में 15% धनराशि अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार पर खर्च, ग्रामीण आवास निर्माण कराया जायेगा व शेष धनराशि अन्य कार्यों के विकास पर व्यय किया जायेगा। कोई भी कार्य ठेकेदारों पर नहीं कराया जायेगा।

नोट–ऐसे सभी व्यक्तियों को जिन्होंने जवाहर रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग किया उनके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 में मुकदमा चलाया जायेगा अगर किसी व्यक्ति पर धन का दुरुपयोग गबन साबित हो जायेगा उसे दस वर्ष की सजा या आजन्म कारावास तक दण्ड दिया जायेगा।

ऋण राहत योजना के अन्तर्गत किसानों, बुनकरों, कास्तकारों, शिल्पकारों भूमिहीन कृषि मजदूरों द्वारा 2 अक्टूबर 89 तक या उसके पहले किए गये सरकारी बकायों से राहत दिलाने हेतु 340 करोड़ रुपये का बन्दोबस्त किया गया है जिससे 36 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

खाद की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने 5 करोड़ का अनुदान खरीफ 1990 में सरकारी समितियों की प्रथम किस्त के रूप में दिया है इस वर्ष पेयजल समस्या गांव में 250 लोगों पर इण्डिया मार्का 2 हैण्ड पाइप उपलब्ध कराया जायेगा। गांवों में 26-39 लाख रुपये खर्च करके 2 लाख शौचालय बनेंगे। ढाई एकड़ या इससे कम जमीन वाले वृद्ध ग्रामीणों को वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाकर 100रु. मासिक कर दी गई है।

ज्ञात हुआ कि आलू, सूरजमुखी और सेब की सरकारी खरीद के मूल्यों में वृद्धि की गई है। गन्ने का मूल्य सामान्य गन्ने के लिये 38 रुपया और कोश 607 व साओजे 64 के लिये 41 रुपया कुन्तल तय किया गया है। ऊसर सुधार कार्यक्रम में 280 करोड़ रुपये की एक परियोजना विश्व बैंक की मदद से चलाई जायेगी। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्प्रिंकलर या ड्रिप सिचाई सेटों पर किसानों को 50% अनुदान दिया तथा हस्त चालित ट्रैक्टरों की खरीद पर इण्टर-मीडिएट या अधिक शिक्षा प्राप्त किसानों को 33 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

फसलों की उपज जानने हेतु किये जाने वाले फसल कटान प्रयोग पर मुआवजा 4 गुना बढ़ा दिया गया है। गांवों में विद्युतीकरण को और तेज किया जा रहा है। सहकारिता के माध्यम से दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋण की धनराशि बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दी गई है। अधिकतम ऋण सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपया कर दी गई है। सिंचाई के वर्तमान उपकरणों व वितरण व्यवस्था को सुधारने हेतु 9 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना पर 204–5 करोड़ और राजकीय लघु सिंचाई कार्यक्रम में 126–27 करोड़ रुपये रखे गये हैं। मैदानी क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु 15 करोड़ व पर्वतीय क्षेत्र में 1-37 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। किसान बन्द खाद्य पदार्थों और कृषि पर आधारित उद्योगों को मौजूद शासन ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

बैंक से कर्ज प्राप्त करने के नियम

गरीबों को ४ प्रतिशत ब्याज पर ऋण

गरीबों और जरूरतमन्द लोगों को बेईमान साहूकार के चंगुल से छुड़ाने के लिये सरकार ने इन्हें कम ब्याज पर कर्ज देने की योजना लागू की है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने समाज के पिछड़े तथा निर्धन लोगों को कम ब्याज की दर अर्थात् 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर अपनी आय और उत्पादन बढ़ाने के लिये ऋण देने की व्यवस्था है।

इस योजना से वे लोग ही लाभ उठा सकते हैं जिनके परिवार की आय यदि वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हों तो 3600 रु. वार्षिक से अधिक न हो। यदि उनके क्षेत्र अथवा किसी कस्बे में रहते हों तो 6000 . से अधिक न हो। यदि उनके पास सिंचित भूमि हो तो उसके रकबा एक सिंचाई वाले या 2.5 एकड़

असिंचित भूमि से अधिक न हो किन्तु भूमि सम्बन्धी प्रतिबन्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर लागू नहीं होता ।

(क) कोई भी जो खेती बारी से लगा हो कृषक हो, मजदूर हो अथवा खेती बारी सम्बन्धी जैसे—मुर्गी पालन, सुअर पालन, मछली पालन, बागवानी, जानवर पालन अथवा डेरी का काम साधारण रूप से करता है ।

(ख) जंगल में पैदा होने वाली वस्तुओं का व्यवसाय करता है अथवा जंगल से चारा या घास एकत्रित कर बेचता है ।

(ग) घरेलू तथा ग्रामीण उद्योग-धन्धों जैसे—कपड़ों की कटाई और सिलाई खाने-पीने की सस्ती वस्तुओं का उत्पादन घर-घर सामान वितरित करने का व्यवसाय, चाय की दुकान, रिक्शा चलाना, जूता या चप्पल की मरम्मत, बास्केट बनाना इत्यादि काम करता हो ।
ऋण तभी दिया जाता है जबकि ऋण प्राप्तकर्ता उस कार्य को स्वयं करता हो वह किसी से सहायता लेता भी हो तो वह बहुत कम हो ।

(घ) मेधावी को जो देश या विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हों ।

(च) विकलांग व्यक्तियों को कच्चे माल अथवा स्थाई सरजान के लिये यदि वे कोई लाभप्रद व्यापार या व्यवसाय करते हों ।

(छ) औषधालय तथा ऐसी संस्थाओं में जिसमें स्त्रियां अथवा विकलांग रहते हों और ... जो योग्य माल उत्पादन करते हों जिन्हें किसी प्रकार का ... प्राप्त होता हो ।

यह योजना मुख्यतः ... बैंक द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । स्टेट बैंक की सभी शाखायें जो शासन द्वारा निर्धारित पिछड़े जिलों में काम कर रही हैं इस योजना के अनुसार सहायता करती साधारणतया प्रार्थी का कार्यस्थल म्युनिसपल बोर्ड पंचायत में अथवा स्टेट बैंक की शाखा के 10 किलोमीटर की परिधि के अन्दर ही होना चाहिये ।

प्रार्थनापत्र दो प्रतियों में दिया जाता है जिसे स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से प्राप्त कर लिया जा सकता है वैसे तो ऋण की सीमा आवश्यकतानुसार ही निर्धारित हो जाती है । लेकिन अधिक से अधिक 500 रुपये का ... और 1500 रुपये कार्यशील पूंजी के लिये ऋण दिया जाता है ।

ऋण का भुगतान साधारण पाँच वर्षों के अन्दर तिमाही या छमाही किस्तों में कर देना होता है। भुगतान करने में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ऋण प्राप्तकर्ता के व्यापार को व्यवसाय या व्यापार से पैसे निकालने में धक्का न लगे जब ऋण व्यवसायिक व्यवसाय के लिये दिया जाता है तो ऋण का भुगतान समय समाप्त होते ही करना पड़ता है।

ब्याज की दर चार प्रतिशत है ऐसे मान लिया है कि कोई भी व्यापार अथवा व्यवसाय तीन वर्ष की अवधि में शुरू हो जाता है अतः तीन वर्ष बाद ब्याज की दर धीरे-धीरे बढ़ाकर साधारण ब्याज के बराबर कर दी जाती है।

2500 रु. तक ऋण खरीदे किए हुए सामान को बन्धक रखकर अन्य शर्तें पूरी करने पर दे दिया जाता है। किन्तु इससे अधिक ऋण प्राप्त करने पर जमानत देनी होती है।

बैंक ऋण योजना

बेकारों को काम में लगाने की योजना

(Self Employment Scheeme)

कर्जा प्राप्त अधिकतर मध्यम श्रेणी के व्यापारी तकनीकी ज्ञान वाले इन्जीनियर और डाक्टर, मोटर मैकेनिक, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी और घरेलू उद्योग धन्धों के लिए भी आर्थिक मदद में कर्जे के रूप में करते हैं बैंक, स्कूटर या टैक्सी चालकों को व्यापारिक कार्य के लिए काश्तकार को अपने खेत के विकास के लिए कर्ज प्रदान करता है जिसकी अदायगी किस्तों पर होती है, धन के अभाव में प्रतिभावान व्यक्तियों बेकारों के लिए बैंकों ने एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। शिल्पकार बढ़ई, दर्जी, धोबी या किसी भी प्रकार के रोजगार में लगे लोगों के लिए बैंक समुचित विकास का अवसर प्रदान करती है।

काश्तकार अपने खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर, पम्प सेट, आयल इन्जन, घास कूटने के लिये ट्यूबवेल, दूसरे खेत मशीन, सिंचाई मशीन, मोटर गाड़ी टैक्सी और तीन पहिये वाले स्कूटर आदि खरीदने के लिए कर्जा प्राप्त कर सकते हैं।

इसके लिए बैंक से लिखित एक जमानती बांड तथा इकरारनामा करना पड़ेगा। काश्तकारों को जमानत के तौर पर खेत को रेहन करना पड़ता है। इस रेहननामे की अदायगी लिखा पढ़ी होती है। जिसमें फीस एक हजार रुपया पर 82,59 रु. लगेगी। जिसके अन्तर्गत बैंक एजेन्सी को यह अधिकार होगा कि निश्चित अवधि पर किस्तों का भुगतान न होने पर बैंक पुनः उस पर स्वामित्व के अधिकार का दावा कर सकता है।

किश्तों को देते समय अथवा कर्जा भुगतान का समय, मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक भी होता है। भुगतान का समय, 12 महीने से लेकर 16 महीने तक होता है। धनराशि की सीमा अधिक होने पर समय अधिक बढ़ा दिया जाता है।

कर्ज लेने वाले को कर्ज लेने की धनराशि का केवल बीस प्रतिशत से लेकर 33 प्रतिशत तक अपने पास से देना पड़ेगा, शेष रकम का भुगतान बैंक द्वारा स्वीकृत कर्ज से किया जा सकता है।

इस कर्ज की योजना के अन्तर्गत जिसे हम 'सेल्फ एम्पलायमेंट' कहते हैं। 20,000 रुपये तक कर्ज देने की सीमा निश्चित की गयी। साधारण तथा ब्याज की दर 11 प्रतिशत से 14 प्रतिशत वार्षिक होती है।

बेरोजगारों एवं निर्धनों के लिए
स्वतः रोजगार

गरीबी की रेखा क्या है?

गरीबी का रेखा के अन्तर्गत वे परिवार आते हैं जिनकी साल भर में आय ग्रामीण क्षेत्र में रु. 4800—तथा शहरी क्षेत्र में . 5500/—से अधिक न हो।

कौन-कौन से लोग इस योजना के पात्र हैं?

गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे परिवार इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं।

स्वतः रोजगार के लिए कौन-कौन सी लघु उद्योग योजनायें हैं?

आप कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र में कोई धन्धा स्थापित कर सकते हैं अथवा आप अपने पैतृक व्यवसाय को विकसित करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए कुछ योजनायें निम्न-लिखित हैं—

हथकरघा, पावरलूम, सिलाई, साबुन एवं डिटर्जेंट पाउडर उद्योग सिन्थेटिक उद्योग, रेडीमेड गारमेंट्स, स्टील के बक्से बनाना, फाउंन्टेन पेन्सिल, स्टेशनरी फाइल कवर/फाइल बोर्ड, लेटरपैड निर्माण, लोहे के सन्दूक आदि, बाल पेन रिफिल, जिल, जूता चप्पल तथा अन्य चमड़े के सामान, बेकरी निर्माण, कम्बल कालीन, गरम स्वेटर, कपड़ों की रंगाई छपाई आदि उद्योग।

—जनरल मर्चेंट्स, बिजली के सामान, फोटोग्राफी, होजरी, बुक स्टाल, मोटर स्कूटर-पार्ट्स, मेडिकल स्टोर, सीमेंट डीलरशिप, टेन्ट हाउस, लाउडस्पीकर बैण्ड, जलपान आदि दुकानों की स्थापना।

रेडियो की मरम्मत, पम्पसेट, ट्रैक्टर मरम्म ट्रान्जिस्टर/टी. वी. मरम्मत, मोटर वाइन्डिंग, बैटरी चार्जिंग, साइकिल, आटो रिक्शा मरम्मत आदि।

दाल मिल, चावल मिल, आटा मिल, मसाला पिसाई, तेल मिल तथा अन्य कृषि आधारित उद्योग ।

आटो रिक्शा, विक्रम टैम्पो, आटो डिलीवरी वैन, टैम्पो आदि ।

स्वतः रोजगार योजनाओं के लिए निगम द्वारा कौन-कौन सी सुविधा अनुमन्य हैं ।

योजना की लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 5000/–तक अनुदान ।

योजना की लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 40 प्रतिशत सालाना ब्याज पर ।

अनुदान तथा मार्जिन मनी ऋणों को छोड़कर योजना लागत की शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में दिलाई जायेगी । ऋण/अनुदान की धनराशि आपके जिले के ही आसपास के निर्धारित बैंक के माध्यम से प्राप्त होगी ।

ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों, महिलाओं, [illegible] पेशे में लगे लोगों तथा बन्धुआ मजदूरों के लिए विशेष लक्ष्यों का निर्धारण ।

परिसम्पत्ति निर्माण योजना

शहरी क्षेत्र में मैदानी भागों में रु. 15000/–तथा रु. 17000/–क्रमशः (साधारण मिट्टी व काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में) तक की लागत दुकानों का निर्माण एवं आवंटन । पर्वतीय क्षेत्रों में रु. 19000/–तक की लागत की दुकानों का निर्माण एवं आवंटन । योजना की लागत का . 5000/–अनुदान तथा शेष धनराशि बिना ब्याज के ऋण रूप में देय है जिसकी वसूली 10 वर्षों में मासिक किश्तों में की जायेगी ।

लघु/सीमान्त कृषकों के खेतों में . 5000/–तक लागत की निःशुल्क बोरिंग । साथ ही सम्बन्धित कृषक को पम्पसेट क्रय करने हेतु बैंकों से ऋण दिलाया जायेगा जिससे पम्पसेट की लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 5000/– तक अनुदान अनुमान्य ।

शहरी [illegible]

(किराये पर देने, किराये पर [illegible] का विनियमन)

मकानमालिक और किरायेदारी के कानूनी रूप

1. कानून कब लागू होता—यह कानून ऐसे शहरों या कस्बों में बने हुए मकानों और दुकानों पर लागू है जहाँ नगर महापालिका या नगरपालिका नोटी-फाइड एरिया या टाउन एरिया संगठित और स्थापित हो ।

2. ऐसे भवन जिन पर कानून लागू न हों राज्य सरकार, भारत सरकार [illegible] नगरपालिका के किसी मकानों पर और [illegible] को एक [illegible] के लिए

किराये पर लिये गये हों। इन मकानों पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे भवन जिनके निर्माण होने की अवधि 10 वर्ष पूरी न हो। उन पर और जो किसी बैंक आदि से कर्ज लेकर बने हों। 15 वर्ष तक उन पर यह कानून लागू न होगा।

3. कब्जा की दशा में किरायेदारी का अधिकार—जहाँ कोई व्यक्ति ई.1976 के पूर्व किसी मकान में मकानदार की सहमति से रह रहा हो। ऐसा व्यक्ति उस मकान का किरायेदार माना जायेगा।

4. किराया अदालत में जमा किया जाना—ऐसा व्यक्ति जो किसी मकान का पूर्ण अपने को किरायेदार समझता है और किराया मकान मालिक को देता है। लेकिन मकानदार किराया लेने से इन्कार करता है। ऐसी दशा में किरायेदार मुन्सिफ की अदालत में किराया जमा कर सकता है। किरायेदार को किराया भुगतान की रसीद लेना जरूरी है।

5. मकान के क्रय-विक्रय होने की दशा में मकानदार व किरायेदार का अधिकार—जब कोई मकानदार अपना मकान बेच दे और दूसरा अन्य कोई खरीद ले। ऐसी दशा में जब क्रेता के पास पहले से अन्य कोई मकान है और विक्रय होने वाले मकान में यदि कोई किरायेदार पहले से रह रहा है तो क्रेता मकानदार किरायेदारों से किराया लेने का केवल हकदार होगा, किन्तु यदि क्रेता के पास पहले से कोई अन्य मकान नहीं है तो ऐसी दशाओं में क्रेता मकानदार किरायेदारों को तीन वर्ष बाद बेदखली का दावा कर सकता है।

6. मकान के सुधार की दशा में मकानदार को किराया बढ़ाने का अधिकार—जब किसी भवन या दुकान का सुधार किया जाय तो अन्तिम सुधार करने के तिथि से 3 माह के भीतर मकानदार सुधार में व्यय होने वाली धनराशि पर 1% मासिक तक किराया के अतिरिक्त और बढ़ा सकता है। हाउस टैक्स व वाटर टैक्स जहाँ किराया 25 रु. प्रतिमाह से कम है। मकानदार को देय होगा और जहाँ किराया 25 रु. प्रतिमाह से अधिक है वहाँ हाउस टैक्स, वाटर टैक्स किरायेदार को देय होगा।

7. निम्नलिखित आधारों पर मकान खाली समझा जायेगा—मकानदार या किरायेदार अथवा सामान मकान से हटा ले या अपने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को बसा दे या स्वयं दूसरी जगह स्थायी रूप से रहने लगे या किरायेदार या उसके स्त्री-पुरुष अवयस्क बच्चे का उसी शहर में निजी मकान बन गया हो तो मकान खाली समझा जायेगा।

8. खाली मकान को मकानदार द्वारा अपने उपयोग के लिये लिया जाना—जब कोई मकान किरायेदारी से खाली है और मकानदार स्वयं अपने उपयोग के

लिए खाली मकान को चाहती है तो मकानदार जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने अधिकार में रख सकता है।

9. मकान की मरम्मत और सफाई आदि व्यय को किराये में मुजरा किया जाना—जब किसी मकान या दुकान की मरम्मत या सफाई-पुताई की जाय तो ऐसी दशा में होने वाली धनराशि को अदालत की आज्ञानुसार देय किराये की धनराशि में से कटौती किया जा सकता है जो देय किराया धनराशि तीन माह से अधिक न होगी।

10. बेदखली के आधार—मकानदार किरायेदारों को ऐसे आधार पर बेदखली कर सकता है—

(1) जहाँ कोई मकानदार किसी सेवायोजन में था और वह ऐसे सेवायोजन के समय सार्वजनिक भवन में या सेवायोजन द्वारा प्रदत्त किसी सेवायोजन के भवन में रहता था। सेवायोजन समाप्ति पर उसके रहने वाला भवन खाली करना पड़ता है। ऐसी दशा में मकानदार के यदि कोई किरायेदार है तो मकानदार अपने रहने के लिये मकान खाली कराने का दावा कर सकता है जो सेवायोजन में जाने पर मकानदार ने मकानकिराये पर उठाया हो।

(2) जहाँ किरायेदार पर कम से कम चार माह का किराया बाकी है और किराया भुगतान करने का नोटिस दिया गया है। फिर भी किरायेदार ने बकाया किराया अदा नहीं किया है।

(3) फौजी जवान जो कोई लड़ाई में मारे गये हों उनके स्त्री, बच्चे यदि कोई किरायेदार हों और उनका किराया बाकी रह जाय तो चार माह के स्थान पर एक वर्ष माना जायेगा।

(4) किरायेदार ने यदि बिना अनुमति के कोई शिकमी किरायेदार रख लिया जिससे भवन के स्वामी को क्षति पहुँचती हो।

(5) जहाँ किरायेदार या उसकी पत्नी या अवयस्क बच्चों का कोई मकान उसी शहर या कस्बे में बन गया हो।

(6) जहाँ मकान किसी निश्चित अवधि के लिये किराये पर दिया गया था और वह निश्चित अवधि बीत गयी है।

(7) जहाँ मकान किन्हीं प्रतिबन्धों के अधीन उपयोग के लिये दिया गया हो और किरायेदार भवन को प्रतिबन्धों के विरुद्ध उपयोग में लाता है अथवा किरायेदार भवन को अवैध या अनैतिक प्रयोजनों के निमित्त इस्तेमाल करने के लिए उपयोग करता है या वह इस विषय में दोषी ठहराया जा चुका है।

(8) दावा किये जाने पर अदालत में धनराशि का जमा करना—जब मकानदार किराया बाकी के सम्बन्ध में किरायेदार पर मकान खाली कराने का

दावा करेगा। तब ऐसी धनराशि जो किरायेदार के ऊपर दिखाई गई हो। कुल धनराशि न्यायालय में जमा न करे तो न्यायालय को अधिकार है कि किरायेदार का जवाबदावा न सुना जाय।

9. किरायेदार मुकदमा की पहली पेशी पर कुल बकाया किराया और यदि कोई क्षति माँगी गयी हो तो क्षति का . व मुकदमा का खर्चा और ब्याज सहित अदालत में जमा कर दे तो ऐसी हालत में अदालत बेदखली का दावा रद्द कर सकती है। लेकिन यदि किरायेदार का मकान उसी शहर या कस्बे में है तो किरायेदार, किरायेदारी के मकान से बेदखल हो जायेगा।

(10) मालिक मकान का आवश्यकता पर किरायेदार की बेदखली-मकानदार को यदि रहने की आवश्यकता है तो अदालत विचार कर यदि वह उचित समझे तो बेदखली का आदेश दे सकती है। इसके अतिरिक्त बेदखली यदि ऐसे मकान या दुकान की हो जिसमें किरायेदार कोई धन्धा कर रहा हो तो ऐसी दशा में बेदखली होने पर दो वर्ष का किराया मकानदार किरायेदार को क्षति कर के रूप में अदा करेगा।

किराये पर देने का विनियमन

धारा 11–प्रदेशन आदेश के बिना किराये पर देने का निषेध एतद पश्चात की गई व्यवस्था के सिवाय कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन को धारा 19 के अधीन जारी किए गये किसी प्रदेशन आदेश के अनुसरण के सिवाय किराये पर नहीं देगा।

धारा 12–कतिपय दशाओं में भवन का रिक्त समझा जाना–किसी भवन के मकानदार या किरायेदार का भवन या उसके किसी भाग से अध्यासन समाप्त समझा जायेगा।

(क) उसने सारतः अपना सामान वहाँ से हटा लिया हो।

(ख) उसने उस पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके परिवार का सदस्य न हो अध्यासन कर लेने दिया हो।

(ग) किसी आवासिक भवन की दशा में उसने तथा उसके परिवार के सदस्यों ने अन्यत्र निवास जो अस्थायी निवास न हो कर लिया हो।

1. किसी अनावासिक भवन की दशा में यदि कोई किरायेदार जो भवन में कारोबार करता हो। कारोबार में यथास्थिति कोई ऐसा भागीदार अथवा किसी ऐसे नए भागीदार को प्रवेश करा ले जो उसके परिवार का सदस्य न हो यह समझा जयेगा कि उस किरायेदार का भवन से अध्यासन समाप्त हो गया है।

2. किसी आवासिक भवन की दशा में यदि किरायेदार या उसके परिवार का कोई सदस्य उसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया में निजी

किरायेदारी के अन्तर्गत भवन स्थित है और कोई भी आवासिक भवन बनाए अथवा अन्यथा रिक्त स्थिति में अर्जित कर ले या रिक्त करा ले तो यह समझा जायेगा कि उस किरायेदार का अपनी किरायेदारी के अन्तर्गत भवन से अध्यासन समाप्त हो गया है।

(4) कोई भवन या उसका भाग जिस पर उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अन्तर्गत मकानदार या किरायेदार का अध्यासन समाप्त हो गया हो। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए रिक्त समझा जायेगा।

धारा 13—आदेशाधीन या विमुक्ति बिना भवन का अध्यासन करने के सम्बन्ध में निबंन्धन—यदि किसी मकानदार या किरायेदार का भवन या उसके भाग पर अध्यासन समाप्त हो जाय तो कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में उसकी ओर से अथवा धारा 16 के अधीन आवंटन या विमुक्ति आदेश से अन्यथा उस पर अध्यासीन नहीं होगा और वह इस प्रकार अध्यासीन होने के लिए वास्तविक हो तो धारा 31 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे ऐसे भवन या भाग का अनाधिकृत अध्यासी समझा जायेगा।

धारा 14—वर्तमान किरायेदारों के अध्यासन का नियमित करना—पुराने अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन दिए गए सामान्य आदेश में दी गई बात के होते हुए भी कोई किरायेदार जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व मकानदार की सहमति से भवन पर अध्यासीन हो। परन्तु वह ऐसा व्यक्ति नहीं हो, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व पुराने अधिनियम की धारा 7 (ए) के अधीन कार्यवाहियाँ विचाराधीन हों। उक्त भवन के प्राधिकृत अध्यासन में समझा जायेगा।

बेदखली का विनियमन

धारा 20—सिवाय निर्दिष्ट कारण के किरायेदार को बेदखल करने के लिए वाद पर रोक—(1) उपधारा (2) में या धारा 43 की उपधारा (2) के खण्ड (द) में की गई व्यवस्था के सिवाय किसी भवन से किसी किरायेदार की बेदखली करने के लिए कोई वाद संस्थित नहीं किया जायेगा। भले ही समय के बीत जाने से या छोड़ देने की नोटिस की समाप्ति पर या किसी अन्य प्रकार उसकी किरायेदारी समाप्त हो गई हो।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से समय के बीत जाने से किरायेदार की ऐसी किरायेदारी की समाप्ति पर उसकी बेदखली करने के लिए वाद पर कोई रोक न होगी। वह किरायेदारी वाद, अपील, पुनरीक्षण या निष्पादन कार्यवाही के प्रसंग में ऐसे समझौते या समायोजनों द्वारा या उसके अनुसरण में

जो या जो न्यायालय में अभिलिखित किया गया हो अथवा अन्य रूप से लिखित और किरायेदार द्वारा हस्ताक्षरित हो, निश्चत अवधि के लिए की गई हो।

(2) किसी भवन से किरायेदार को उसकी किरायेदारी की समाप्ति पर बेदखल करने के लिए निम्नलिखित एक या एकाधिक कारणों से कोई वाद संस्थित किया जा सकता है। अर्थात्–

(क) किरायेदार पर कम से कम चार महीने का किराया बाकी है और उस पर माँग की नोटिस व्यक्तिगत तामील होने के एक महीने में उसका भुगतान उसके मकानदार को नहीं दिया है। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किरायेदार के सम्बन्ध में जो संघ की सशस्त्र सेनाओं का सदस्य है और जिसके पक्ष में इण्डियन (सोल्जर्स) एक्ट 1925 के अधीन विहत प्राधिकारी ने यह प्रमाण पत्र दिया है। या उक्त एक्ट की धारा 3 अर्थों में विशेष परिस्थितियों के अधीन सेवारत है अथवा इस प्रकार सेवारत होते हुए मृत्यु शत्रु की कार्यवाही के फलस्वरूप हो गई हो तो उसके वारिसों के सम्बन्ध में इस खण्ड में शब्द (चार महीनें) के स्थान पर शब्द (एक वर्ष) प्रतिस्थापित समझा जायेगा।

(ख) किरायेदार ने जानबूझ कर भवन को सारवान रूप से क्षतिग्रस्त किया है या करने की अनुज्ञा दी है।

(ग) किरायेदार ने मकानदार की लिखित अनुज्ञा के बिना भवन में कोई ऐसा निर्माण या संरचनात्मक परिवर्तन जिससे उसका मूल्य या उसकी उपयोगिता घटने या जिससे उसका विरूपण होने की सम्भावना हो, किया है या करने की अनुज्ञा दी है।

(घ) किरायेदार ने कोई ऐसा कार्य किया है जो उस प्रयोजन से असंगत हो जिसके लिए उसे भवन किरायेदार पर दिया गया था तथा मकानदार की लिखित सहमति के बिना उसका प्रयोग ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया है अथवा वह अवैध या अनैतिक प्रयोजनों के निमित्त भवन का प्रयोग करने की अनुज्ञा देने के अपराध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सिद्ध-दोष ठहराया गया है।

(ङ) किरायेदार ने यथास्थिति धारा 25 या पुराने अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके सम्पूर्ण भवन या उसके किसी भाग को शिकमी किराये पर उठाया है।

(च) किरायेदार ने अपनी तत्प्रकारीय हैसियत को नकारा है या मकानदार के स्वत्व को अमान्य किया है और मकानदार ने न तो पुनः प्रवेश करने के अपने अधिकार का अधित्याग किया हो और न किरायेदार के ऐसे आचरण को क्षमा किया हो।

मकानदार तथा किरायेदार के अन्य अधिकारों तथा आधारों का विनियमन

धारा 25–शिकमी किराये पर उठाने का निषेध–(1) कोई भी किरायेदार अपने किरायेदारी के अधीन सम्पूर्ण भवन को शिकमी किराये पर नहीं उठायेगा।

2. किरायेदार भवन का कोई भाग मकानदार तथा जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा से शिकमी किराये पर उठा सकता है।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(अ) यदि किरायेदार को किसी भवन या उसके भाग पर धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) या उपधारा (2) के अर्थ में अन्यासन उपान्त हो जाता है तो यह समझा जायेगा कि उसने उक्त भवन या उसका भाग शिकमी किराये पर उठाया है।

(ब) किसी व्यक्ति को होटल या बासा में ठहरना शिकमी किराये पर उठाना नहीं समझा जायेगा।

धारा 26–मकानदार तथा किरायेदार के कतिपय आधार–1. कोई मकानदार, किरायेदार द्वारा उपभोग की जाने वाली किन्हीं सुख-सुविधाओं को बिना वैध प्राधिकरण अथवा कारण से समाप्त नहीं करेगा और न ही उनको रोकेगा अथवा उनमें कमी करेगा।

2. मकानदार, किरायेदारी के अधीन भवन की बातरखी तथा बसरखी बनाये रखने के लिए बाध्य होगा और किसी प्रतिकूल लिखित संविदा के अधीन रहते हुए समय-समय पर पुताई तथा मरम्मत कराएगा।

3. किसी प्रतिकूल लिखित संविदा के अधीन रहते हुए कोई किरायेदार भवन में उसके द्वारा कराये गये किसी सुधार को किरायेदारी जारी करने के दौरान अथवा उसके समाप्त होने के पश्चात न गिरायेगा और न सचल किस्म के फिक्सचरों को छोड़कर ऐसे सुधार में प्रयुक्त किसी सामग्री को हटायेगा।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पहले सम्पूर्ण सम्पत्ति एवं अचल सम्पत्ति पर पुत्र का ही अधिकार रहता था। इस अधिनियम द्वारा परिवार की सम्पत्ति में बालिकाओं एवं बाल-विधवा माँ को सम्पत्ति में हिस्सा दिया गया है। सम्पत्ति की मुख्य-मुख्य धारा निम्नलिखित हैं।

1. अब तक प्रचलित मतानुसार एवं दैय प्रणाली के विशिष्ट नियमों को समाप्त करके हिन्दू के सामान्य उत्तराधिकारी नियमों को लागू कर दिया गया है।

2. हिन्दू स्त्रियों को सम्पत्ति पर सीमित अधिकार समाप्त करके उन्हें सम्पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं।

(3) बालक एवं बालिकाओं और स्त्री-पुरुष का भेद भाव समाप्त करके सामान्य उत्तराधिकारी नियम बना दिये गये हैं।

(4) पति की मृत्यु के बाद पत्नी को सम्पूर्ण सम्पत्ति पर अधिकार दे दिये गये हैं।

(5) स्त्रियों के निकटतम पदों के अनुसार उत्तराधिकारी भाग दिया गया है। जैसे पिता की सम्पत्ति में पुत्री को उसके भाइयों के बराबर अधिकार दिए गये हैं। विधवा स्त्री तथा माँ को सम्पत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार है।

(6) यह अधिनियम बालक एवं बालिकाओं में कोई भेद नहीं करता और किसी परिवार की सम्पत्ति का बटवारा निम्नलिखित व्यक्तियों में होगा।

(अ) पुत्र एवं पुत्रियाँ, (ब) विधवा पत्नी, (स) विधवा माँ, (द) विवाहित पुत्रियाँ भी हिस्सा पाने की अधिकारी होंगी।

धारा १६९–अंतरणीय अधिकारों वाले भूमिधर द्वारा वसीयत

1. अन्तरणीय अधिकारों वाला भूमिधर वसीयत द्वारा अपने खाते या उसके किसी भाग को सिवाय जैसा कि उपधारा (2-क) में उपबन्धित है वसीयत कर सकेगा।

1. क–अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अन्तरणीय अधिकारों वाले भूमिधर के सम्बन्ध में धारा (157-क और 157-ख) के प्राविधान वसीयत के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार किसी जीवन काल में अन्तरण लागू होते हैं।

3. उपधारा 1. के अन्तर्गत किया गया प्रत्येक इच्छा पत्र किसी विधि या प्रचलन में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी, लिखित और दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित होगा।

धारा १७०–अन्तरणीय अधिकारों वाले भूमिधर या आसामी द्वारा वसीयत

किसी अन-अन्तरणीय अधिकारों वाले भूमिधर या आसामी को अपने खाते या उसके किसी भाग को वसीयत द्वारा अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

धारा १७१–उत्तराधिकार का सामान्य क्रम

धारा 169 के प्राविधानों के अधीन जब कोई पुरुष भूमिधर या आसामी मर जाय तो उसके खाते में स्वत्व, का न्यागमन निम्नलिखित उत्तराधिकारों के अनुसार होगा।

(क) पुत्र–प्रौवादिक क्रम में पुंजातीय वंशज प्रतिशाखा के अनुसार समान अंशों में।

किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि पिता के पूर्व मरे हुए पुत्र के पुत्र को वह चाहे कितनी भी नीची पीढ़ी में हों, वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा जो मृत पुत्र को यदि वह जीवित होता तो मिलता। दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि पहले प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुए पूर्व मृत पुंजातीय वंशज का अंश उसकी विधवा को मिलेगा यदि उसने पुनः विवाह न किया हो।

भारतीय दण्ड संहिता की कुछ प्रमुख धारायें–

धारा 121–भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना आदि। मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास।

धारा 124–राजद्रोह। आजीवन कारावास और जुर्माना।

धारा 132–सेना में विद्रोह फैलाना। यदि विद्रोह हो जाय तो मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।

धारा 147–बलवा करना। 2 वर्ष के लिए दण्ड, कारावास या जुर्माना या दोनों।

धारा 160–दंगा करना। 1 साल के लिए कारावास या 100 रु. का जुर्माना या दोनों।

धारा 209–अदालत में झूठा दावा दायर करना। 2 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।

धारा 216–डाकुओं को आश्रय देना। 7 वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।

धारा 292–अश्लील पुस्तकों को बेचना आदि। पहली बार अपराध करने पर 2 वर्ष का कारावास और 2 हजार . जुर्माना। पुनः दोषी होने पर 7 वर्ष का कारावास और 5 हजार रु. जुर्माना।

धारा 294–गन्दे अश्लील गाने आदि। 3 मास के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

धारा 302–हत्या। मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास और जुर्माना।

धारा 307–हत्या करने का प्रयत्न करना। 10 वर्ष के लिए करावास और जुर्माना। यदि हत्या के प्रयत्न से चोट पहुँचे। आजीवन करावास और जुर्माना।

धारा 309–आत्महत्या करने का प्रयत्न करना। 1 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

धारा 313–स्त्री के इजाजत के बिना गर्भपात करना या कराना। आजीवन कारावास और जुर्माना।

धारा 354–स्त्री की लज्जा भंग करने की नियत से उस पर हमला करना 2 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।

धारा 364–हत्या करने के लिए अपहरण या व्यपरण करना। आजीवन कारावास और जुर्माना।

दहेज विरोधक अधिनियम

इस अधिनियम के आधार पर दहेज की परिभाषा निर्धारित कर दी गई है, और दहेज केवल उस धनराशि को माना गया है जिसे वर पक्ष के लोग विवाह के समय किन्हीं शर्तों के आधार पर निर्धारित करते हैं। इसके अन्तर्गत वह धन तथा अन्य वस्तुयें शामिल नहीं हैं जिसे कन्या का पिता स्वेच्छा से देता है।

1. इस अधिनियम के साथ दहेज लेना एवं दहेज देना या दहेज के लेन-देन में सहायता देना अपराध घोषित कर दिया गया है। प्रत्येक अपराधी को 5000/-रु. तक जुर्माना और 6 माह तक कारावास हो सकता है।
2. कन्या के माता-पिता से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भी दहेज माँगना अपराध है। ऐसे अपराधी को उक्त दण्ड की व्यवस्था है।
3. अधिनियम की धारा 5 के अनुसार दहेज लेने से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अनुबंध अवैधानिक माना जायेगा।

पालन पोषण सम्बन्धी अधिकार

गुजारा सम्बन्धी नया कानून

(माता, पिता, सन्तान व पत्नी के लिए)

उस व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने बूढ़े माता-पिता की सेवा व भरण-पोषण करे अन्यथा माता-पिता अदालत से दावा करके गुजारा ले सकेंगे। इस कानून के अन्तर्गत सरकार ने लागू किया कि—

1— धारा 48 के अनुसार नाजायज संतान जब तक बालिग न हो जाय तब तक पालन-पोषण पाने का गुजारा अदालत संतान को दिला सकती है।

2— जायज या नाजायज संतान को जो बालिग हो गये हैं लेकिन किसी कारण-वश भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं—जो विवाहित पुत्र नहीं। अदालत संतान को गुजारा दिला सकती है।

3— कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को जो अपना पालन-पोषण करने में असमर्थ है या वह स्त्री जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया हो और स्त्री ने दूसरा विवाह न किया हो, गुजारा देना होगा।

4— अगर कोई लंगड़ी, लूली अथवा बीमारी से असमर्थ है और उसका पति उसे छोड़ दें या खाना खर्ची बन्द कर दे तो ऐसी हालत में स्त्री अपने पति से गुजारा ले सकती है।

Regd. No. 40/38/78 1995

पंचायत राज अधिनियम तथा अन्य अनेक नये-नये कानूनों
की विस्तृत जानकारी के लिए पढ़िए–

'नये कानून' का वृहद अंक

सामान्य जनता, पुलिस, वकील, छात्र श्रमिक संगठन व कानून
विषयक प्रतियोगिता के उम्मीदवारों के लिए

एक प्रति का मूल्य : १५/– मात्र

लेखक :

शरद चन्द्र मिश्र (एडवोकेट)

हाईकोर्ट

एवं

आर. के. त्रिपाठी (एडवोकेट)

कानपुर

सम्पादक :

राजेन्द्र मिश्रा

([illegible])

65/15, गांधी ग्राम, कानपुर

प्रबन्ध सम्पादक :

एस. एन. द्विवेदी

7/280, [illegible] नगर

[illegible], उन्नाव

मुद्रक–दीक्षित आर्ट प्रेस, 82 [illegible] विहार-नगरी, कानपुर